कार्यालय कलेक्टर पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0)

—:आदेश:—

पन्ना दिनांक 28 दिसम्बर 2017

मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग के परिपत्र दिनांक एफ 6—1/2017/लो0से0प्र0/61 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2017 के माध्यम से आयोजित आनलाईन परीक्षा के उपरान्त राज्य लोक सेवा अभिकरण म0प्र0 भोपाल के पत्र कमांक /रा.लो.से.अभि./2017/915 भोपाल दिनांक 16.11.2017 के द्वारा जारी मैरिट सूची से अभ्यर्थीयो को इस कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति कमांक 1139/लो0से0प्र0/जिला प्रबंधक भर्ती/2017 पन्ना दिनांक 07 दिसम्बर 2017 के द्वारा आयोजित साक्षात्कार उपरान्त इस कार्यालय से जारी अंतिम चयन सूची के द्वारा चयनित अभ्यर्थी को लोक सेवा प्रबंधक पद पर जिला कार्यालय पन्ना मे नियुक्ति नीचे उल्लेखित शर्तो के अधीन प्रदाय की जा रही है:—

क0	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	पता	पदनाम	मासिक मानदेय	नियुक्ति का प्रकार
1	कु0 अर्चना विनोद कुम्भरे पिता श्री विनोद भगवानजी कुम्भरे	निवासी प्रतापपुरा मालवीयगंज वार्ड —15 विश्वकर्मा नगर इटारसी जिला होशंगाबाद(म0प्र0)	जिला प्रबंधक (लोक सेवा)	25000/—	संविदा

संविदा नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार रहेगी :—

1.0 संविदा अवधि:—

1.1 प्रथम संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। वर्षान्त पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा मूल्यांकन आधार उपयुक्त होने पर 01 वर्ष के लिए पुनः सेवा वृद्धि पर नियुक्त किया जा सकेगा इस तरह संविदा नियुक्ति में 02 बार वृद्धि की जा सकेगी अर्थात कुल संविदा अवधि तीन वर्ष के लिये होगी।

1.2 03 वर्ष के पश्चात आवश्यकता एवं उपयुक्तता के आधार पर समग्र विचार कर सेवा अवधि में वृद्धि का निर्णय लिया जायेगा।

1.3 इस संविदा अवधि के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावा नही किया जायेगा।

1.4 प्रत्येक वर्ष पुनः संविदा नियुक्ति की स्थिति में गत नियुक्ति के दौरान प्राप्त वेतन में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

2.0 **मानदेय/पारिश्रमिक :—**

जिला प्रबंधक (लोक सेवा) को संविदा अवधि के दौरान रूपये 25000/— प्रति माह एक मुश्त मानदेय दिया जायेगा। महगाई एवं अन्य गृह भाड़ा भत्ता आदि नही दिया जायेगा।

2.1 **यात्रा एवं दैनिक भत्ता:—**

संविदा पर नियुक्ति जिला प्रबंधक को द्वितीय श्रेणी के समकक्ष यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होगा।

3.0 **ई0पी0एफ0 कटोत्रा:—**

ई0पी0एफ0 कटोत्रा के संबंध में ई0पी0एफ0 फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होगे।

4.0 **अवकाश:—**

(क) आकस्मिक अवकाश:— संविदा पर नियुक्ति अधिकारी को नियमानुसार 01 वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

(ख) चिकित्सा अवकाश:— संविदा पर नियुक्ति अधिकारी को नियमानुसार 01 वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिऐ जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नही जोड़ा जायेगा।

(ग) प्रसूति अवकाशः— संविदा नियुक्ति महिला अधिकारी को नियमानुसार 90 दिन के प्रसूती अवकाश की पात्रता मानदेय की राशि सहित पात्रता होगी। प्रसूती अवकाश मात्र 02 जीवित संतानो तक ही देय होगा। प्रसूती संबंधी गंभीर चिकित्सकीय आवश्यकताओं हेतु महिला संविदा कर्मियों हेतु 90 दिन का बिना पारिश्रमिक के अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। स्वीकृति का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा।

(घ) उपरोक्त सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जायेगा। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का मानदेय देय नही होगा तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

5.0 **अन्यः—**

5.1 नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पश्चात 07 दिन की अवधि में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

5.2 संविदा नियुक्ति पर नियुक्ति अधिकारी की सेवाये निर्धारित अवधि के पूर्व कलेक्टर द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी।

5.3 संविदा पर नियुक्ति अधिकारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमाकर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।

5.4 संविदा पर नियुक्ति अधिकारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को कोई भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।

5.5 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानो/कार्यालयों मे कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

5.6 संविदा पर नियुक्ति अधिकारी को समय समय पर सौपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी सम्पादित करने होगे।

5.7 संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी को नियुक्ति पत्र मे दर्शायी तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

5.8 संविदा पर नियुक्ति अधिकारी को आधारभूत एवं उसे दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा।

5.9 संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवको को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।

5.10 संविदा पर नियुक्ति अधिकारी को कदाचार या किसी अपराधिक क्रिया कलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगे।

5.11 संविदा नियुक्ति पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा उसे प्रावधानित किये गये कार्य मानक स्तर से नहीं करने की स्थिति में कारण बताओ स्पष्टीकरण पत्र जारी कर रूपया 250/— तक अर्थदण्ड या अनुशासनहीनता करने का लगाया जा सकेगा। संविदा के दौरान दो बार से अधिक अर्थदण्ड लगाने की स्थिति निर्मित होने पर तीसरी बार अर्थदण्ड लगाते समय सेवायें समाप्त की जा सकेगी

5.12 चयनित अभ्यर्थी उसका पदस्थाना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना

Tiwari

किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

5.13 विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

5.14 जिला प्रबंधक (लोक सेवा) का जाब चार्ट कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

5.15 चयन की स्थिति में संविदा के पूर्व मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

कलेक्टर
जिला पन्ना(म0प्र0)

पृ0 क्रमांक/1231/स्थापना/2017 दिनांक 28 दिसम्बर 2017

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, सागर, संभाग सागर की ओर सूचनार्थ
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना।
5. प्रभारी अधिकारी लोक सेवा प्रबंधन जिला कार्यालय पन्ना।
6. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलदार समस्त जिला पन्ना ।
7. समस्त विभाग प्रमुख..जिला पन्ना ।
8. संबंधित ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेसित।

कलेक्टर
जिला पन्ना (म0प्र0)

30